## (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 18 मई, 2017

सा.का.नि. 199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2012 में;
  - (क) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:—
    - "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं। ";
    - (i) स्तंभ (4) में;
      - (क) स्तंभ शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात :— "वेतन मैटिक्स में स्तर":
      - (ख) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:— "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपए)"

[फा. सं. ए-12012/02/2016-स्था.-घ]

अनूप कुमार, अवर सचिव

टिप्प्ण: मूल नियम भारत के राजपत्र सं. सा.का.नि. 2, तारीख 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## (Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 18th May, 2017

- G.S.R. 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Industrial Policy and Promotion, Multi Tasking Staff (Group 'C' posts), Recruitment Rules, 2012, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion, Multi Tasking Staff (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Department of Industrial Policy and Promotion, Multi Tasking Staff (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2012;
- (a) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—
- "2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules";
- (i) in column (4);
- (A) for the column heading, the following column heading shall be substituted, namely:—

"Level in pay matrix";

(B) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—
"Level- 1 in pay matrix Rs. (18000-56900)"

[F. No. A-12012/02/2016-Estt.-D] ANOOP KUMAR, Under Secy.

**Note**: The principal rules were published in the Gazette of India number G.S.R. 2, dated the 31<sup>st</sup> December, 2012.